न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2025/197

सिविल प्रकरण संख्याः– 63/2025 तारीख रजू 30.10.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. अभय कुमार महेश्वरी पुत्र शिवलाल महेश्वरी (प्रोपराईटर) मैसर्स राहुल जनरल स्टोर, ग्रेन गोदाम रोड विशाल होटल के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर। निवासी एच–66 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया खेरदा, सवाई माधोपुर।
2. रश्मि ताम्बी पत्नि ऋषि (प्रोपराईटर) गोविन्द ट्रेड सेन्टर जी–8, अग्रसेन मार्केट, वराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर प्रथम 302001 । निवासी नाहरगढ रोड, चांदपोल बाजार, जयपुर 302001।
3. विक्रम साहवानी पुत्र हीरानन्द साहवानी (प्रोपराईटर) मैसर्स – हार्दिक प्रोडक्ट्स, प्लाट नं 17, सेक्टर बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ओरछा निवारी, जिला टीकमगढ, मध्यप्रदेश–472246। निवासी – 955/12ए सर्व नगर, झांसी, उत्तरप्रदेश–284003 ।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/ 51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 22.05.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 18.12.2024 को 03.50 पी.एम. पर फर्म राहूल जनरल स्टोर ग्रेन गोदाम रोड, विशाल होटल के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुंचे जो व्यक्ति मिला उसे उन्होंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अभय कुमार महेश्वरी पुत्र शिव लाल महेश्वरी फर्म मालिक होना बताया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति चाही गई, विक्रेता ने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की। तत्पश्चात तत्कालीन

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड 1–1 किलोग्राम के पैकिट्स में रखे हुवे थे। उक्त कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड में गुणवत्ता/मिलावट होने का अनदेशा होने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने वास्ते नमूना जांच हेतु कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड के 04 पैकिट्स खरीद कर उसकी कीमत 800/– रूपये विक्रेता श्री अभय कुमार महेश्वरी को नगद अदा कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान विनोद कुमार रैगर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये। एवं मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अभय कुमार महेश्वरी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता अभय कुमार महेश्वरी को देकर रसीद प्राप्त की।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने खरीदशुदा कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड के चार पैकिट्स को मूल ही लेकर चार नमूना भाग तैयार कर तथा चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3536** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-3536 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अभय कुमार महेश्वरी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर मे लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2024/1369 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/5317/एक्ट/2024/5268 दिनांक 26.12.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड Substandard & Extraneous Matter** प्रकृति का होना पाया गया है।

अनुसंधान बाबत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मैसर्स राहूल जनरल स्टोर सवाई माधोपुर को अग्रिम खरीद बिल हेतु लिखा पत्र एवं फर्म से प्राप्त अग्रिम माल खरीद बिल की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ पेश की गई है।

मैसर्स केशव एण्ड संस जयपुर को खाद्य अनुज्ञापत्र एवं जीएसटी, आधार कार्ड एवं अग्रिम माल खरीद बिल हेतु लिखा पत्र एवं उक्त फर्म का का प्रत्युत्तर मय प्राप्त दस्तावेजो की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ पेश की गई है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया द्वारा अनुसंधान बाबत मैसर्स हार्दिक प्रोडक्ट्स मध्यप्रदेश को फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र एवं अग्रिम खरीद बिल हेतु लिखे पत्रों की प्रति एवं फर्म से प्राप्त दस्तावेजों की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ पेश की गई है।

अभिहित अधिकारी द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह का स्थानान्तरण जिला जयपुर प्रथम हो जाने के फलस्वरूप आवेदक वेद प्रकाश पूर्विया को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2025/866 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदक फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard & Extraneous matter, कोकोनट पाडर (जय) ब्राण्ड** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की कमशः धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या एक स्वयं तथा अभियुक्तगण 2 लगायत 3 जरिये अधिवक्ताओं उपस्थित हुये। अभियुक्त संख्या एक द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने पर अभियुक्त सख्या एक का जबाव बन्द किया गया। अभियुक्त संख्या 2 एवं 3 द्वारा प्रकरण में जबाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **Sub-Standard & Extraneous matter,** कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राहुल जनरल स्टोर से कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड का नमूना लिया गया था जोकि जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। उनके द्वारा उक्त माल का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त माल फर्म केशव एण्ड संस से क्रय किया गया है। उनके द्वारा जैसा माल भिजवाया गया वैसा ही हमारे द्वारा विक्रय किया गया है। अतः अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

अभियुक्त संख्या 2 ने प्रस्तुत जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त संख्या 2 उक्त कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड का निर्माता एवं उत्पादनकर्ता नहीं है। अभियुक्त ने उक्त माल अभियुक्त संख्या 3 मैसर्स हार्दिक प्रोडक्ट से जरिये इनवॉईस नम्बर 376 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा क्रय किया है। अभियुक्त संख्या 2 ने किसी प्रकार का अपराध फूड सेफटी एक्ट की धारा के अन्तर्गत कारित नहीं किया है। परिवादी ने प्रार्थीया को गलत रूप से पक्षकार बनाया है। उक्त माल के सबस्टेण्डर्ड पाये जाने पर अभियुक्त संख्या 3 उत्तरदायी है। अन्त में अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 2 को दोष मुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

अभियुक्त संख्या 3 ने प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि आवेदक द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की फर्म से Premium Select Coconut Powder (Jai) ब्राण्ड का नमूना लिया गया था तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेते समय विक्रेता फर्म को फार्म संख्या 5ए का नोटिस मौके पर दिया गया था। उसमें लेबर संबंधित पूर्ण विवरण का अंकन किया गया था। आवेदक ने निर्माता फर्म का नाम फार्म सं0 5ए के नोटिस में बालाजी ट्रेडर्स सी–15/1 इण्डिस्ट्रीयल एरिया झासी उत्तर प्रदेश का विवरण व अंकन दिया है। उक्त विवरण अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ विपक्षी नं 3 फर्म हार्दिक प्रोडेक्ट का नहीं हो सकता। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त प्रकरण में बिना अनुसंधान जांच पडताल के ही विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अन्य खाद्य पदार्थ व फर्म के बिल के आधार पर विपक्षी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया है जबकि उक्त माल का बिल विपक्षी नं0 3 का नहीं है तथा उक्त बिल भी नमूने से संबंधित ब्राण्ड का नहीं होने के कारण विपक्षी नम्बर 3 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विपक्षी नं0 3 का जो बिल संलग्न किया गया है वह उस माल का निर्माता नहीं है तथा बिल में लूज 25 किलोग्राम के बैग के विवरण अनुसार 120 बैग का बिना ब्राण्ड का लूज माल कोकोनट पाउडर का है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेते समय बैगों का कोई विवरण नहीं दिया बल्कि जय ब्राण्ड कोकोनट पाउडर से संबंधित एक किलोग्राम के पैकेट के नमूने लिये गये थे। इस आधार पर भी विपक्षी नं0 2 की फर्म का कोई माल नमूने में साबित नहीं होता है। इस कारण विपक्षी संख्या 3 उक्त नमूने प्रकरण के लिये दोषी नहीं हो सकता। खाद्य विश्लेषण में उक्त नमूने में ऑयल की मात्रा कम व स्टार्च पोजिटिव बताते हुए जांच को सबस्टेण्डर्ड घोषित किया गया है जोकि आधारहीन होने के कारण रिपोर्ट मान्य नहीं हो सकती क्योंकि कोकोनट एक फल है जिसको सुखाकर उसके बाद उचित तापमान में रखकर उपयुक्त वातावरण के अनुसार उसे तैयार किया जाता है जिस कारण कोकोनट पाउडर अधिक सूख जाने के कारण व नमी की मात्रा का अंश रह जाने के कारण ऑयल पदार्थ

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

की मात्रा कम होने की संभावना रहती है तथा तकनीकी रूप से कुछ स्तर पर तैयार करते समय स्टार्च मौजूदा स्थिति में आने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से अन्य पदार्थ का समावेश नहीं किया गया है। ना ही रिपोर्ट में स्टार्च से संबंधित किसी भी पदार्थ का स्वरूप बताया गया है रिपोर्ट संशय पूर्ण होने के कारण प्रार्थीगण दोषी नहीं हो सकते। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसएसए के तहत विधिवत रूप से नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था ना ही क्वालिफाइड था तो उसके द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही तथा उसके बाद की कार्यवाहियां एवं परिवाद पेश करने की कार्यवाही अवैध हो जाती है जिस कारण परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। विक्रेता फर्म व निर्माता फर्म अधिनियम के नियमानुसार ही पूर्ण रूप से कोकोनट पाउडर में मौजूद सभी मानको के अनुरूप व पैरामीटर के आधार पर माल निर्माण व विक्रय का कार्य करती है तथा निर्माता फर्म द्वारा खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर विक्रय किये जाने के पश्चात खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर में प्राकृतिक वातावरण मौसम रख रखाव तापमान के प्रभाव के कारण भी मानक कुछ स्तर पर ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है जो मानव नियंत्रण से बहार है इसलिए विक्रेता फर्म व निर्माता फर्म को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में अभियुक्त संख्या 3 द्वारा प्रकरण निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/5317/एक्ट/2024/5268 दिनांक 26.12.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड** **Sub-Standard & Extraneous matter** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में **Oil Content** results 19.90% आया है जोकि **Not less than 55.0% (m/m)** होना चाहिए था तथा नमूने में **Test for added starch** results Positive आया है जोकि **Negative** होना चाहिए था। इसके साथ ही नमूने में **Acidity of extracted fat expressed as lauric acid** results 0.15% आया है जो कि **Not more than 0.3%** होना चाहिए था। उक्त जांच रिपोर्ट उक्तानुसार पाये जाने पर नमूना सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। अभियुक्त संख्या 3 द्वारा पेश किये गये जवाब के मद संख्या 6 व 9 के अनुसार उक्त नमूना माल अभियुक्त संख्या 3 का होना प्रतीत होता है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जांच से संतुष्ट नहीं होने पर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की पुनः रेफरेल जांच भी नही करवाई गई है। जिससे भी प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28 जुलाई 2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधिकार दिये गये है। तथा राज सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रेल 2012 के द्वारा संबंधित जिले के समस्त क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार नमूना संग्रहण तथा परीक्षणोपरान्त, अभिहित अधिकारी के द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु अधिकृत करने पर न्यायालय हाजा में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व** नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर (जय) ब्राण्ड** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 21,000 रू0 (अक्षरे – इक्कीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावे, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर